बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

एचओ: बीआर: 112: 12 दिनांक: 13-01-2020

भारत में स्थित सभी शाखाओं/अंचलों/क्षेत्रों के लिए परिपत्र

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा

प्रिय महोदय/ महोदया,

विषय: बीओबी कंट्रीब्यूटरी मेडिकल असिस्टेंस स्कीम के अंतर्गत दावा

हम अपने परिपत्र सं.एचओ: बीआर:112:11 दिनांक 08 जनवरी 2020 का संदर्भ देते हैं जिसके माध्यम से हमने पूर्व-कर्मचारियों के लिए इंटरनेट आधारित वेबपोर्टल के शुभारंभ होने तथा इसमें बीओबी कंट्रीब्यूटरी मेडिकल असिस्टेंस स्कीम के तहत डोमिसिलियरी क्लेम करने की सुविधा शुरू होने के बारे में सूचित किया गया था.
पूर्व कर्मचारियों के लिए पोर्टल हेतु यूआरएल लिंक निम्नलिखित है.

https://easiest.bobinside.com:8443/ex_empmodule

अब हमें पूर्व-कर्मचारियों से शाखाओं द्वारा फिनेकल में Med aid to retd employees" खाते को अनफ्रीज करने से संबंधित कई प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं. इस संबंध में कृपया यह नोट करें कि इस योजना के तहत कोई भी दावा केवल उपर्युक्त पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए. पूर्व कर्मचारियों के खाते में राशि को केंद्रीकृत रूप से प्रधान कार्यालय द्वारा क्रेडिट किया जाएगा. किसी कर्मचारी के विवरण उपलब्ध नहीं होने या लॉगिन करने में कोई तकनीकी समस्या आने पर, पूर्व कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अपनी नजदीकी शाखा से संपर्क करें:

i. इस योजना के तहत जारी मूल पासबुक (शाखा अधिकारियों द्वारा सत्यापन के उद्देश्य से)
ii. इस योजना के तहत जारी पासबुक की फोटोप्रति जिसमें सदस्य का विवरण अर्थात् नाम, सदस्यता संख्या, शाखा विवरण, फोटोग्राफ तथा डोमिसिलियरी एवं होस्पिटलाइजेशन खर्चों के लिए पिछले दावे की तारीख एवं उसमें बचे शेष का विवरण शामिल हो.

शाखा इस मामले के निपटान के लिए तत्काल स्टाफ कल्याण विभाग, प्रधान कार्यालय को ईमेल swel.ho@bankofbaroda.com पर सूचित करें. कृपया नोट करें कि मेल के साथ पासबुक, जिसमें उपर्युक्त उल्लिखित सारे विवरण हो, की स्कैन प्रति संलग्न हो. शाखाओं को सूचित किया जाता है कि वे बीओबी कंट्रीब्यूटरी मेडिकल असिस्टेंस स्कीम के तहत दावा निपटान के लिए किसी खाते को डेबिट न करें.

हमें कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि शाखाएं इस योजना के तहत उनके दावे को दर्ज करने में मदद नहीं कर रही हैं. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि चूंकि इस इंटरनेट आधारित सुविधा को सीबीएस सिस्टम पर भी इनेबल किया गया है, अतः शाखाओं को सूचित किया जाता है कि वे पूर्व कर्मचारियों के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करें. शाखाएं पूर्व कर्मचारियों के दावे को इस पोर्टल पर दर्ज करने में उचित मदद करें.

कृपया इस परिपत्र की विषय वस्तु को अपनी शाखा /कार्यालय से सम्बद्ध सभी स्टाफ की जानकारी में लाएं. पूर्व कर्मचारियों के हित में इसकी एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाए.

भवदीय,

C. Malolan.

(सी मालोलन)
प्रमुख- (मास परिचालन)

प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. - छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007. गुजरात. (भारत).
Head Office : **HRM** - 6th Floor, "Baroda Bhavan", R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007. Gujarat (INDIA).
ई-मेल / E-mail : hrm.ho@bankofbaroda.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा **Bank of Baroda**

HO:BR:112:12 13.01.2020

CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES IN INDIA

Issued by
HRM Department, HO, Baroda

Madam / Dear Sir,

Re: Claim under BOB Contributory Medical Assistance Scheme

We refer to our circular no. HO: BR: 112:11 dt. 08.01.2020, wherein we had informed that, we have introduced an internet based web portal for ex-staffs, where the domiciliary claim under "BOB Contributory Medical Assistance Scheme" has been made operational.

The URL link for the ex-employee portal is given below:

https://easiest.bobinside.com:8443/ex_empmodule

We are now receiving many queries from ex-employees, branches to unfreeze "Med aid to retd employees" account in Finacle. In this regard, please be informed that, any claim under this scheme has to be submitted through the above portal only. The amount shall be credited to the ex-employee's account centrally by Head Office. In case the details of the ex-employees are not available or if there are technical issues while logging in, ex-employees are advised to approach the nearest branch with all the following documents:

i. Original passbook issued under this scheme (for verification by the Branch Officials).
ii. Photocopy of the passbook issued under this scheme containing the details of the member viz., Name, membership number, branch details, photograph and the last claim date of Domiciliary and Hospitalization expenses and the balances therein.

The Branch shall immediately inform the Staff Welfare Department, Head Office via e-mail to 'swel.ho@bankofbaroda.com', to get the issue resolved. Please note to attach the scanned copy of the passbook containing all the necessary information detailed above. Branches are advised not to debit any account for settling claims under "BOB Contributory Medical Assistance Scheme."

We are also in receipt of concerns from substantial number of retired employees that Branches are not co-operating with them in lodging their claims under this scheme. In this regard, it may please be noted that, though this is internet based facility, the same is enabled on CBS systems as well and branches are strictly advised not to turn down the requests of ex-employees. Branches shall duly assist the ex-employees to lodge their claims in the portal.

Kindly bring the contents of this Circular to the notice of all staff in your Branch / Office. A copy be displayed on the notice board for the benefit of the ex-employees.

Yours faithfully,

C. Malolan.

(C. MALOLAN)
HEAD (HR OPERATIONS)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा BANK OF BARODA मा. सं. प्र. H.O. HRM Alkapuri, Baroda प्रधान कार्यालय, अलकापुरी, बड़ौदा